

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटवा, जिला- कोटवा (छ.ग.)

- कार्य विभाजन आदेश -

क्रमांक : 01/सीएजेएम०/2024

कोटवा, दिनांक : 10/05/2024

मैं, सीमा प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटवा दांडिक कार्य-विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेशों/ज्ञापनों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला कोटवा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक प्रकरण एवं कार्य का विभाजन निम्नानुसार करती हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कोटवा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आवंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
1	2	3	4
1.	सीमा प्रताप चन्द्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटवा	आरक्षी केन्द्र बालको (चौकी रजगामार सहित), सिविल लाईन रामपुर, (चौकी सीएसईबी सहित)	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (धारा 354, 509 भादवि को छोड़कर)</p> <p>(2) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, नाप-तौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, मण्डी अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961 तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उद्भूत होने वाले निम्न अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना :-</p> <p>(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1994.</p> <p>(2) विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992</p> <p>(3) कंपनीज अधि. 1956</p> <p>(4) धनकर अधि. 1957</p> <p>(5) दानकर अधि. 1958</p> <p>(6) आयकर अधि. 1961</p> <p>(7) सीमा शुल्क अधिनियम 1962</p> <p>(8) निर्यात (व्हालिटी) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963</p> <p>(9) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964</p> <p>(10) एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक अधिनियम 1969.</p>

४९  
 (सुभी चौकी प्रताप चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 कोटवा (छ.ग.)

			<p>(11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973</p> <p>(4) कोरबा रेंज, बालको रेंज एवं लेमरु रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) आबकारी वृत्त कोरबा से उद्भूत होने वाले समस्त छ. ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) स्तंभ कमांक-03 में वर्णित थाना के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा एवं खारिजी आवेदन का निराकरण करना।</p> <p>(7) माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन कमांक 8198/II-6-2/2020(MP/MLA)/ Chechker बिलासपुर दिनांक 19.09.2020 के आदेशानुसार एमपी/एमएलए से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(8) कोरबा जिले के समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत/उत्पन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले का निराकरण करना।</p> <p>(9) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(10) क्षमा प्राप्त अभियुक्तों के मामले का निराकरण करना।</p> <p>(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपें गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।</p>
2.	श्री सत्यानंद प्रसाद , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	थाना उरगा, यातायात	<p>(1) स्तम्भ कमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (धारा 354, 509 मादावी के प्रकरण छोड़कर)</p> <p>(2) स्तंभ कमांक 03 में वर्णित थाना एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली, बालको, सिविल लाईन रामपुर से उत्पन्न होने वाले परिवाद पत्र तथा धारा 156(3) द्वारा 3 में प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरु, श्यांग, बालको से उत्पन्न होने वाले स्वापक औषधि और मनःप्रमाणी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरु, श्यांग, बालको से उद्भूत होने वाले ड्रग्स एवं कास्टेटिक अधिनियम के वे प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ कमांक-3 में वर्णित थाना/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरण का निराकरण करना।</p>

  
 (सुश्री रमेश प्रसाद चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 कोरबा (छ.ग.)

		<p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 का निराकरण करना।</p> <p>(7) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(8) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न होने वाले परकार्य लिखत अधिनियम 1881 के समस्त प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(9) कोरबा के रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के ऐसे प्रकरण जिन्हें माननीय अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हों अथवा ऐसे रिक्त मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित होने वाले समस्त अपराधिक प्रकरण।</p> <p>(10) ऐसे मामले जिनके संबंध में किशोर न्याय (बालकों की दख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण करने संबंधी प्रावधान है।</p> <p>(11) स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग. आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
3.	श्रीमती प्रतीका अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा,	<p>कोतवाली (चौकी मानिकपुर सहित), आरटीओ</p> <p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न होने वाले <u>घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005</u> के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) थाना कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, उरगा, लेमरू, श्यांग, बालको से उत्पन्न <u>धारा 354, 509 मादवि</u> के समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी के द्वारा प्रस्तुत समस्त खाता एवं खासिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 का निराकरण करना।</p> <p>(7) स्तंभ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग. आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p>

  
 (सुमन प्रताप चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 कोरबा (छ.ग.)

			(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ.ग.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।
4.	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	थाना लेमरु	(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) आरक्षी केन्द्र बालको, सिविल लाईन रामपुर एवं थाना लेमरु से उत्पन्न होने वाले छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करेंगे। (3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।
5.	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कोरबा		(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के सुनवाई योग्य अंतरित मामले का निराकरण करना।
6.	श्री पंकज दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र कटघोरा	(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) द.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना (धारा 354, 509 भादृप्रि के प्रकरण छोड़कर) (2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन का निराकरण करेंगे। (3) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले खाय अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नापतौल अधिनियम, मण्डी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण। (4) कटघोरा स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रिक्त रहने पर ऐसे प्रकरण जिन्हे माननीय अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पुर्णविचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हो अथवा ऐसे रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (5) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे। (6) कटघोरा रेंज, ऐतमानगर रेंज, जगटा रेंज, पसान रेंज, केंद्री रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले वन संबंधी समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। (7) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उत्पन्न संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रकरणों का

  
 (लुक्मी सीमा प्रसाप घन्ना)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 लोका (छ.ग.)

			<p>निराकरण करना।</p> <p>(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
6.	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र दर्ती	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना (<b>धारा 354, 509 मादावि के प्रकरण छोड़कर</b>)</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन का निराकरण करेंगे।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नापतौल अधिनियम, मण्डी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों एवं थाना कटघोरा दर्ती, दीपका, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा एवं पसान से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques(prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उत्पन्न <b>संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007</b> के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(7) आरक्षी केन्द्र कटघोरा, दर्ती, पसान, बांकीमोंगरा, दीपका, कुसमुण्डा एवं बांगो से उद्भूत होने वाले पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के समस्त प्रकरण।</p> <p>(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
7.	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र बांकीमोंगरा, दीपका	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं 156(3) दं.प्र.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) आरक्षी केन्द्र कटघोरा, कुसमुण्डा, दर्ती, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका एवं पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न होले वाले समस्त <b>धारा 354, 509 मादावि</b> के प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(3) आरक्षी केन्द्र कटघोरा, कुसमुण्डा, दर्ती, बांकीमोंगरा,</p>

(सुनीता प्रसाद बन्द्रा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
कोरबा (छ.ग.)

			<p>बांगो, दीपका एवं पसान से उद्भूत होने वाले घरेलू हिसासे महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थाना से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग. आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ.ग.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
8.	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	आरक्षी केन्द्र बांगो, कुसमुंडा	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्रों एवं धारा 156(3) दं. प्र.सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम. 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
9.	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	आरक्षी केन्द्र- पसान	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्रों एवं धारा 156(3) दं. प्र.सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक 03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले समस्त छ.ग.आबकारी अधिनियम. 1915 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करेंगे।</p> <p>(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये</p>

  
 (लुक्ष्मी लीला प्रसाद चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 (संभालपुर)

			गये दांडिक प्रकरण।
10.	श्री हेमंत राज धुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी करतला	आरक्षी केन्द्र करतला, श्यांग	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) दं प्र.सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न/उद्भूत होने वाले आवाकारी अधिनियम के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नाप-तौल अधिनियम, मंडी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं इरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण के खात्मा एवं खारिजी प्रतिवेदन।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना।</p> <p>(7) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(8) करतला रेंज, कुदमुरा रेंज तथा पश्चरखेत रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त वन संबंधी परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ.ग.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p> <p><u>टीप:- वर्तमान में श्री हेमंत राज धुव को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदत्त करने तक की अवधि के दौरान उन्हें स्तंभ क्रमांक-4 में उपरोक्तानुसार सौंपे गए कार्यों में से जो कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं, वे कार्य विभागजन आदेशानुसार उनकी अनुपस्थिति में अत्यांवश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे।</u></p>

  
 (सुनी सीमा प्रताप चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 कोरबा (छ.ग.)

11.	<p>श्री अमित प्रताप चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली</p> <p>आरक्षी केन्द्र पाली, हरदी बाजार</p>	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा परिवाद पत्रों एवं घारा 156(3) दृ. प्र.सं. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न/उद्भूत होने छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले स्थाय अपमिश्रण निवारण अधिनियम, नाप-तौल अधिनियम, मंडी अधिनियम, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उद्भूत होने वाले परकार्य लिखत अधिनियम 1881 एवं घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण के खात्मा एवं स्थारिजी प्रतिवेदन।</p> <p>(6) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों से उत्पन्न Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना।</p> <p>(7) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले संदाय और निपटारा ग्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(8) पाली रेंज एवं चैतमा रेंज से उद्भूत एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त वन संबंधी परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा समय-समय पर सौंपे गए/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण का निराकरण करना।</p>
-----	--	---

### - :: आवश्यक टीप ::-

- (1) किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- (2) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय दौरे पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या किसी न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य **तालिका क्रमांक-01** के अनुसार बढ़ते हुए कम से संपादित किया जायेगा।



(सुनील रामा प्रताप चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 कोरबा (छ.ग.)

(3) पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड कोरबा की प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में बैठक होने के कारण उक्त दिनों में उनके न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों अथवा तात्कालिक सुनवाई के प्रकरणों का निराकरण **तालिका कमांक-01** के अनुसार बढ़ते हुए कम से संपादित किया जायेगा।

(4) धारा-164 दंप्र०सं० के अंतर्गत कथन एवं संस्थीकृतियों को **तालिका कमांक-02** के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जायेगा। तालिका कमांक-02 के अनुसार यदि **कोई मजिस्ट्रेट लगातार अवकाश पर चला जाता है तो** उसके नाम के आगे बढ़ते हुए कम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के धारा-164 दंप्र०सं० के तहत संस्थीकृतियों/कथन दर्ज करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले थाना क्षेत्रों से संबंधित सक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

(6) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(7) अवकाश में अथवा मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व देंगे।

(8) श्री हेमंत राज धूम, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी करतला तथा श्री अमित प्रताप चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाली के द्वारा प्रत्येक शासकीय या अन्यथा घोषित अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड संबंधी आवश्यक कार्य का संपादन किया जावेगा और **मुख्यालय कोरबा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कर्ट्योरा** में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमाण्ड संबंधी विविध आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा पृथक से, जारी किया जायेगा।

(9) तालिका कमांक-1 एवं तालिका कमांक-2 में दिये गये कमांक एवं विशिष्टियों को उनके निरंतरता के कम (बढ़ते हुए कम) में पढ़ा जायेगा।

(10) **वर्तमान में श्री हेमंत राज धूम को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदत्त करने तक की अवधि के दौरान उन्हें सौंपे गए कार्यों में से जो कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं, वे कार्य विभागजन आदेशानुसार उनकी अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे।**

(11) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर से संबंधित प्रकरण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, कोरबा (छ.ग.) में स्थापित है। बुधवार को छोड़कर शेष कार्य दिवस का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का रिमाण्ड प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य/नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत होगा।

  
(सुश्री रामनाथपाय चन्द्रा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
कोरबा (छ.ग.)

## तालिका क्रमांक-01 (अत्यावश्यक कार्यों का निष्पादन)

*(कुमारी सीता प्रसाद बहना)*  
*मुख्य न्यायिक अधिसङ्गेत्*  
*कोरला (उ.प.)*

## तालिका क्रमांक-02

(धारा-164 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियां दर्ज करना)

क्र०	स्तम्भ क्र०-01 थाना	स्तम्भ क्र०-02	स्तम्भ क्र०-03	स्तम्भ क्र०-04	स्तम्भ क्र०-05
1.	आरक्षी केंद्र बालको, सिविल लाईन रामपुर	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री मंजीत जांगड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
2.	आरक्षी केंद्र उरगा, कोतवाली	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
3.	आरक्षी केन्द्र लेमरू	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
4.	आरक्षी केंद्र उरगा, कोतवाली, बालको नगर, करतला, श्यांग, लेमरू, रामपुर से उत्पन्न <u>धारा-354, 509 आण्डणिवि० के</u> <u>मामले।</u>	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री मंजीत जांगड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
5.	आरक्षी केंद्र करतला, श्यांग	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
6.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्दी, पसान	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
7.	आरक्षी केन्द्र बांकीमोंगरा, दीपका	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
8.	आरक्षी केंद्र बांगो, कुसमुंडा	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
9.	आरक्षी केंद्र पाली	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा
10.	आरक्षी केंद्र कोतवाली, बालको नगर, उरगा, करतला, श्यांग, अजाक, लेमरू से उत्पन्न <u>लैंगिक</u> <u>अपराधों से बालकों का संरक्षण</u> <u>आयनियम 2012 एवं अनुसूचित</u> <u>जाति, जनजाति अत्याचार निवारण</u> <u>आयनियम के मामले।</u>	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा
11.	किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में पेश होने वाले सभी प्रकरणों में।	श्रीमती ऋचा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री मंजीत जांगड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	कु० रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

  
 (लुम्ही रोना प्रताप चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 कोरबा (रुद्र)

		कोरबा	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा
12.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्दी, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान, पाली से उत्पन्न <b>लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मामले।</b>	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु0 रूपल अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	-
13.	आरक्षी केंद्र कटघोरा, दर्दी, कुसमुण्डा, बांकीमोंगरा, बांगो, दीपका, पसान, पाली से उत्पन्न घारा-354, 509 भाष्दांवि० के मामले।	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा	श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा

स्थान :- कोरबा

दिनांक :- 10/05/2024

*K.S.*  
 (सीमा प्रताप चन्द्रा)  
 (लुम्ही सोना प्रताप चन्द्रा)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
 कोरबा (छ.ग.)

*कुमारी*  
 District & Sessions Judge  
 Korba (C.G.)

कुमारी देवी कोरबा जज  
 कोरबा